न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 114/2025(GCMS 2025/442)
(RTI No. 212591337605014)

सुश्री गीता पुत्री श्री हरबंस लाल निवासी मकान नं. 14, सेतिया कॉलोनी, गली नं. 13, खेत्रपाल मंदिर के सामने, श्रीगंगानगर (राज.) 335001 मोबाईल नम्बर–95885–98023

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

17.12.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सुश्री गीता की आरे से उनके अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार (सूरज सोनी) एवं उप नियंत्रक, नगारकि सुरक्षा, श्रीगंगानगर के विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित हुए, उभयपक्ष को सुना गया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि उसने उपनियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, श्रीगंगानगर से दो बिंदुओं की सूचना चाही थी, जिसे लोक सूचना अधिकारी ने प्रश्न वाचक अंकित करते हुए खारिज कर दी जबकि उसके द्वारा वांछित सूचना प्रश्नवाचक नहीं है और न ही तृतीय पक्ष से सम्बन्धित है। उसके द्वारा वांछित सूचना स्वयं से सम्बन्धित हैं, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके द्वारा उपलब्ध करवाई जा चुकी है, इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थिया गीता ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 24.09.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. प्रार्थिया द्वारा गत नागरिक सुरक्षा भर्ती, श्रीगंगानगर में भाग लिया गया था। (जिसके अन्तर्गत दौड़ एवं इंटरव्यू दिनांक 09.09.2025 को आयोजित किया गया था) प्रार्थिया का फ[illegible] था। इस संबंध में प्रार्थिया को निम्न सूचनाएं उपलब्ध करवाने [illegible] करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 114/2025
(GCMS No. 2025/442)
(RTI No. : 212591337605014)

> 1. प्रार्थिया को दौड़, इंटरव्यू एवं दस्तावेज चैकिंग में दिए गए अलग अलग मार्क्स की जानकारी
> 2. प्रार्थिया का आवेदन किस कमी के कारण रिजेक्ट किया गया है तो उसकी जानकारी।

लोक सूचना अधिकारी और नगरिक सुरक्षा एवं उप नियंत्रक, उपखण्ड अधिकारी, श्रीगांगनगर ने अपने पत्रांक ना.सु./गंगा/प्रशि/2025–26/2685–87 दिनांक 09.12.2025 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में चाही गई सूचना बिन्दुवार निम्नानुसार प्रस्तुत है :
> 1. बिन्दु संख्या –1 : –वांछित सूचना प्रश्न वाचक है, अतः देय नहीं है।
> 2. बिन्दु संख्या –2 :– आपके द्वारा वंछित सूचना प्रश्नवाचक है, विशिष्टकरण का अभाव है, अतः देय नहीं है।

लोक सूचना अधिकारी ने अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है जो सही प्रतीत नहीं होता है चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक नहीं है और न ही तृतीय पक्ष से सम्बन्धित है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना स्वयं से सम्बन्धित है। इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य प्रतीत होती है। लोक सूचना अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र की फिर से समीक्षा करें और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। **आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं नागरिक सुरक्षा, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:02 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर